

# कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

e-mail: [nagarnigamrudrapur@gmail.com](mailto:nagarnigamrudrapur@gmail.com)

visit [www.nagarnigamrudrapur.com](http://www.nagarnigamrudrapur.com)

दूरभाष- 05944-242400

पत्रांक:-

मेरा

/ साठनी०अनु० / निस०स० / २०२३-२४

दिनांक- २५/०१/२०२४

## “निविदा सूचना”

जाता है कि नगर निगम रुद्रपुर द्वारा वार्ड नं. 21 के अन्तर्गत यू०पी०सी०एल० कार्यालय एवं सिंचाई विभाग के मध्य बने कवरिंग आमंत्रित की जाती है। जिन्हे तदनिनाक को ही अपराह्न 12:30 बजे से निविदा समिति या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित निविदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। इच्छुक ठेकेदार/फर्म नियोरिट तिथि एवं समय तक अपनी-अपनी सीलबन्द निविदाये कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर में निविदा पेटी में ढाल सकते हैं। निविदा प्रपत्र नगर निगम कार्यालय निर्माण अनुभाग से दिनांक ०८.०२.२०२४ को प्रातः 10:०० बजे से सायं ३:०० बजे तक नियोरिट शब्द जमा कर निविदा क्रय कर सकते हैं। अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने की तिथि व समय में अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। किसी एक या समस्त निविदाओं को दिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:०० बजे से सायं ५:०० बजे तक कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर से प्राप्त की जा सकती है।

(नरेश बहूद दुर्गापाल)

नगर आयुक्त  
नगर निगम रुद्रपुर  
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक:-

मेरा०

/ साठनी०अनु० / निस०स० / २०२३-२४

(उद्धमसिंह सिंह)

जिलाधिकारी/प्रशासक,  
नगर निगम रुद्रपुर  
ऊधमसिंह नगर।

दिनांक- २५/०१/२०२४

प्रतिलिपि- निम्नानुसार नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

- कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
- मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
- श्री तपन कुमार राय, डाटा एन्ड्री ऑफरेटर नगर निगम रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार निविदा सूचना को नगर निगम की वेबवाइट के माध्यम से प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें।
- सम्पादक दैनिक समाचार पत्र अमर ३ जाला, पायोनियर को इस आशय से प्रवित कि उन्हा निविदा न्यूनतम ३० प्रतीशत छूट देते हुए समाचार पत्र दिनांक २५.०१.२०२४ के अंक में न्यूनतम पठनीय रूप में प्रकाशित करते हुए समाचार पत्र की ०२ प्रतियां इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(तीरम कुमार)

प्र० अधिशासी अभियन्ता  
नगर निगम रुद्रपुर  
ऊधमसिंह नगर।

# निविदा शर्तें

1. निविदा में प्रतिभाग करने हेतु निविदादाता को नगर निगम लूदपुर में सिविल निर्माण कार्य हेतु ठेकेदारी पंजीकरण होना आवश्यक होगा एवं निविदा प्रपत्रों के साथ उक्त ठेकेदारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की रख सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
2. निविदा प्रपत्रों का लिफाफा सीलन होना चाहिए है। इसके बाहर निविदा लिफाफे का सीलन किया जायेगा।
3. किसी भी प्रकार की सशर्त/अपूर्ण या ऐसी निविदा जिसमें कार्य सम्मान कराने पर कार्य की गुणवत्ता खराब होने की सम्भावना प्रतीत हो को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. प्राप्त निविदाओं में से किसी एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का समस्त अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम लूदपुर में निहित है।
5. निविदा प्रपत्र नगर निगम कार्यालय से (निविदा सूचना में अंकित समयानुसार) निर्धारित निविदा शुल्क जमाकर क्रद्य किये जा सकते हैं।
6. निविदा प्रक्रिया हेतु निर्धारित की गई लिखियों में कोई राजकीय अवकाश होने की दशा में उक्त तिथि की प्रक्रिया अगले कार्य दिवस में की जायेगी।
7. निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत दी गई निविदा ही भान्य होगी श्रेणी से इतर दी गई निविदा निरस्त कर उक्त के साथ संलग्न धरोहर धनराशि निगम पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
8. निविदा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप में कार्य का नाम एवं ठेकेदार/फर्म का नाम एवं ठेकेदार/फर्म की श्रेणी अंकित करना अनिवार्य होगा एवं निविदा दरों में ओवर राईटिंग भान्य नहीं होगी तथा कटिंग में हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा ऐसी निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. निविदा की दरें शब्दों व अको दोनों अवस्थाओं में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा निविदा दरें दशमलव बिन्दु के दो अंकों/स्थान तक ही भान्य होगी अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
10. निविदा प्रपत्र के साथ कार्य के सापेक्ष 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि एन०एस०सी०/एफ०डी०आर०, जो कि नगर आयुक्त, नगर निगम लूदपुर के पदनाम से बन्धक हो, निविदा विक्रय के समय जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकृत नहीं की जाएगी। तथा निविदा के साथ संलग्न की एन०एस०सी०/एफ०डी०आर० भूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. ठेकेदार को निविदा प्रपत्र के साथ रु 100.00 का गैरन्यायिक स्टाम्प पेपर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. निविदा दर प्राक्कलन की धनराशि से कम दरों पर प्राप्त होने की दशा में G.P.W-9 के clause सी 3 के अनुसार निर्धारित Additional Performance Security ठेकेदार द्वारा द्वितीय पक्ष को जमा कराई जायेगी जो कि कार्य समाप्ति पर अनिमत बिल भुगतान के उपरान्त कार्य संतोषजनक होने पर अवमुक्त की जायेगी।
13. निविदा समिति की स्वीकृति उपरान्त सफल निविदादाता को एक सप्ताह के अन्दर कार्य के सापेक्ष अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करते हुए अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात सम्बन्धित निविदादाता की 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि जब्त करते हुए द्वितीय न्यूनतम निविदादाता (एल-2) के पक्ष में कार्य स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।
14. सफल निविदादाता संविदा करते समय संविदा मूल्य का 05 प्रतिशत कार्यपूर्ति अथवा परफॉर्मेन्सगारंटी और 05 प्रतिशत संविदा मूल्य का ग्राहण की अपेक्षा निषेप में परिवर्तित कर सकता है वशर्तों की धरोहर धनराशि की वैधता अवधि होनी चाहिए।
15. स्वीकृत निविदाओं के कार्यादेश बजट की उपलब्धता होने पर ही जारी किया जायगा तथा सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी होने के उपरान्त 01 सप्ताह के अन्दर नगर निगम के ताकनीकी अभियन्ता की उपरिधिति में कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा एवं कार्यस्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व को फोटोग्राफ एवं कार्य प्रारम्भ, मध्य व कार्य समाप्ति के समय के रगीन फोटोग्राफ अवर अभियन्ता नगर निगम लूदपुर से निरीक्षण करते हुए प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
16. ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करते समय प्रयुक्त निर्माण सामग्री के सैम्प्ल जॉच करना आवश्यक होगा तथा सैम्प्ल की जॉच रिपोर्ट नगर निगम में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। जिसका व्यय बिमाग द्वारा बहन किया जाएगा।
17. स्वीकृत कार्य को नगर निगम लूदपुर में कार्यरत अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता की उपरिधिति में ग्राहण करना होगा तथा उनके निर्देशों के अनुसार पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। कार्य में कोई कमी पाये जाने पर उन्हें कमी निश्चित अवधि में सही करने के लिए ठेकेदार को नोटिस दिया जायेगा, यदि ठेकेदार उक्त समयावधि में कमिया दूर करने में असफल होता है तो नगर निगम को यह अधिकार होगा कि किसी अन्य ठेकेदार से कार्य सही करवा ले। कार्य की लागत की कटौती प्रथम ठेकेदार के बिल से कर ली जायेगी।
18. यदि कार्य किये जाने पर किसी प्रकार की समस्या/रुकावट (अतिक्रमण आदि) की समस्या उत्पन्न होती है तो ठेकेदार का कर्तव्य होगा कि वह लिखित में नगर निगम में उसकी खूचना दें। इसी प्रकार कार्य पूर्ण किये जाने पर ठेकेदार द्वारा नगर निगम को सूचित किया जायेगा।

19. स्वीकृत कार्य में खुदाई से निकलने वाली मिट्टी, पुरानी टाइल्स व पुरानी ईट, लोहे का जाल इत्यादि पुरानी सामग्री को नगर निगम में जमा करना आवश्यक होगा। ठेकेदार द्वारा उक्त का प्रयोग करने से पूर्ण सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी एवं अनियन्त्रित भुगतान बिल से उसकी कटौती की जायेगी।
20. ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह कार्य पूर्ण होने पर कार्यस्थल को साफ करेगा तथा गडडों आदि को भरेगा।
21. सम्पादित कार्य के बिलों के भुगतान में से जमानत धनराशि, रॉयल्टी एवं अन्य आवश्यक कटौतियां नियमानुसार कर ली जायेंगी।
22. निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की रॉयल्टी जमा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा इस आशय के अभिलेख कर ली जायेगी।
23. ठेकेदार कार्य को दिए गए समय के अन्दर पूरा नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार एवं अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, तथा मरम्मत के कार्य के लिए ₹0.10 लाख तक संविदा मूल्य का 01 (एक) प्रतिशत प्रतिसप्ताह तथा अन्य समस्त निर्माण कार्यों में दिलच्छ के लिए संविदा मूल्य का 0.5 प्रतिशत (आदि प्रतिशत) प्रति सप्ताह, परन्तु अधिकतम संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से पैनलटी वसूली/भुगतान बिल से कटौती की जायेगी। जिसमें ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
24. कार्य के मध्य किसी भी लप में जिम्मेदार नहीं होगा।
25. अपरिहार्य स्थितियों में ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय पर कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो निर्धारित समय में समय बढ़ि हेतु ठेकेदार को परिस्थिति विशेष का उल्लेख करना होगा तथा उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित अधिकार बढ़ाए जाने का अधिकार 02 माह तक अधिशासी अभियन्ता नगर निगम रुद्रपुर को होगा। यदि उक्त समयावधि बढ़ाए जाने के उपरान्त भी उक्त कार्य ठेकेदार द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, तो परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 02 माह से अधिक का समय नगर आयुक्त को स्वयंबेक से बढ़ाने का अधिकार होगा।
26. ठेकेदार निर्धारित समयावधि अन्तर्गत अथवा पुनः समयावधि बढ़ाए जाने पर भी कार्य पूरा नहीं करता है, अथवा छाड़ देता है तो नगर आयुक्त को अधिकार होगा कि वह सम्बिधित ठेकेदार का ठेका रद्द करते हुए घरोंहर धनराशि व जमानत धनराशि को जब तक कर लें तथा ठेकेदार को काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
27. यदि शासन द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार के अन्य अतिरिक्त करों का आरोपण किया जाता है, तो उसकी कटौती भुगतान बिल से की जायेगी। जिसमें ठेकेदार की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
28. धनराशि के अभाव में ठेकेदार को बिल भुगतान में विलम्ब होने पर किसी भी प्रकार का आज/अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
29. कार्य संतोषप्रद ढंग से पूर्ण होने के पश्चात कार्य समाप्ति के 01 वर्ष बाद तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्य सन्तोषजनक होने की स्वतंत्रता उपरान्त ठेकेदार को नियमानुसार सिक्योरिटी डिपोजिट की धनराशि वापिस लौटा दी जायेगी।
30. निर्माण कार्यों में लगे श्वासों को कोविड-19 के तहत सांशल डिस्ट्रिंग के साथ-साथ भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा तत्समय जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
31. पक्षों में विवाद की दशा में मामला जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर के पास पंच निर्णय हेतु भेजा जायेगा। जिसका निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य होगा।
- नोट—समस्त निविदादाता उपरोक्त शर्तों का अक्षरश: अध्ययन कर उसका पालन सुनिश्चित करें अन्यथा स्थिति में उनके द्वारा दी गई निविदा निरस्त की जायेगी।

(सौभ्रत कुमार)

प्र० अधिशासी अभियन्ता  
नगर निगम रुद्रपुर  
ऊधमसिंह नगर।

(नरेश चंद्र दुर्गापाल)

नगर आयुक्त  
नगर निगम रुद्रपुर  
ऊधमसिंह नगर।

(उद्धरण सिंह)  
जिलाधिकारी/प्रशासक  
नगर निगम रुद्रपुर  
ऊधमसिंह नगर।